UPM0010021192026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियॉ,(उच्चतर न्यायिक सेवा)–यू0पी0 2411

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–663/2026

मौ0 अली आयु करीब 30 वर्ष पुत्र हीरा, नि0 ग्राम अल्लापुर भीकन, थाना मैनाठेर, जिला अमरोहा ।

..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार। ..... अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–371/2009
एस0एस0टी0– 02/2010
धारा–379,411 भा0दं0सं0 व 136 विद्युत अधिनियम
थाना–मैनाठेर, जिला मुरादाबाद।

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त मौ0 अली की ओर से मु०–अ०सं०–371/2009, धारा–379,411 भा0दं0सं0 व 136 विद्युत अधिनियम, थाना–मैनाठेर, जिला मुरादाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु यह आधार लिये गये हैं कि आवेदक पूर्व में जमानत पर रिहा था। आवेदक फेफडों के रोग से पीडित होने के कारणवश दिनांक 20.7.2024 को हाजिर अदालत नहीं आ सका था तथा उसके विरूद्ध बिना जमानतीय वारंट के आदेश पारित हो गये। आवेदक ने दिनांक 12.2.2026 को थाना मैनाठेर के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया, पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उसे न्यायालय ने धारा–309 दं0प्र0सं0 का वारंट बनाकर जिला जेल भेज दिया तब से वह जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक प्रत्येक तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा। प्रार्थी द्वारा मुकदमा उपरोक्त में जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया हैं ।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसका यह जमानत प्रार्थना पत्र वारंट पर कारागार में होने एवं अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन न होने विषयक शपथ पत्र मिनजानिब शफीकन प्रस्तुत किया गया है।

4. अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया है कि, अभियुक्त द्वारा ने पूर्व जमानत का दुरूपयोग किया है, उसकी अनुपस्थिति के कारण वाद की कार्यवाही लम्बित रही है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके पुनः

अनुपस्थित होने की प्रबल संभावना है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक इतिहास के रूप में अन्य कोई मामला नहीं दर्शाया गया है।

6. जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना, एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था और उसके पश्चात अभियुक्त अनुपस्थित हो गया, जिससे उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये था। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा दिनाक 06.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त एवं सन्तोषजनक प्रतीत होते हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मौ0 अली की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– (पचास हजार) रूपये का स्वबन्धपत्र व इसी राशि का एक प्रति–भू न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

I- वह अग्रिम नियत तिथियों पर उपस्थित आयेगा तथा कोई स्थगन साक्ष्य के स्तर पर प्रस्तुत नहीं करेगा।

II- साक्षीगण को डरायेगा व धमकायेगा नहीं।

III- धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के समय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा तथा वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय का सहयोग करेगा।

11–03–2026

(अंचल लवानियॉ)
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–4, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.03.11 17:08:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court